CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के तहत भुगतान हेतु जाति श्रेणियां

इस निर्णय के पीछे तर्क:

बजटीय परिव्यय से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों का आकलन करने और उन्हें उजागर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य काफी हद तक, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए किए जा रहे कार्यों पर, प्रकाश डालना है।

इस निर्णय के विरुद्ध चिंताएं:

- इससे भुगतान प्रणाली और जटिल हो सकती है।
- इससे योजना के वित्त पोषण में कमी आ सकती है।
- इससे वेतन भुगतान में देरी हो सकती है।
- इससे मनरेगा कार्यक्रम को एससी/एसटी की अधिक आबादी वाले जिलों तक भी सीमित किया जा सकता है।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के बारे में:

मनरेगा (MGNREGA) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जिसके अंतर्गत **'काम करने के अधिकार'** (Right to Work) की गारंटी प्रदान की जाती है।
इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है, कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना होगा ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके।

मनरेगा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य:

- मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये न्यूनतम 100 दिन का वैतनिक रोजगार।
- ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को सशक्त करके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
- कुओं, तालाबों, सड़कों और नहरों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले शहरी प्रवासन को कम करना।
- अप्रशिक्षित ग्रामीण श्रम का उपयोग करके ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना।

मनरेगा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड:

- मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कार्य हेतु आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए किसी स्थानीय परिवार का हिस्सा होना चाहिए (अर्थात, आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना चाहिए)।
- आवेदक को स्वेच्छा से अकुशल श्रम के लिए तैयार होना चाहिए।

योजना का कार्यान्वयन:

- आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग होती है, उस दिन से आवेदक को वैतनिक रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आवेदन जमा करने के पंद्रह दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा।
- मनरेगा के कार्यों का सामाजिक लेखा-परीक्षण (Social Audit) अनिवार्य है, जिससे कार्यक्रम में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

CAREER PLUS

मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज कराने के लिए 'ग्राम सभा' इसका प्रमुख मंच है।
मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी देने और उनकी प्राथमिकता तय करने का दायित्व 'ग्राम सभा' और 'ग्राम पंचायत' का होता है।

पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणापत्र

(A MODEL PANCHAYAT CITIZENS CHARTER)

संदर्भ:

हाल ही में, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए, 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र / रूपरेखा (A Model Panchayat Citizens Charter) जारी किया गया है।

इसे पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान' (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj- NIRDPR) के सहयोग से तैयार किया गया है।

महत्व:

यह नागरिक घोषणा पत्र सेवाओं डिजाइनिंग एवं सुपुर्दगी करते हुए स्थाई विकास हेतु सार्वजनिक सेवाओं का पारदर्शी एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित करेगा और विविध विचारों को सम्मिलित करके स्थानीय सरकारों की समावेशिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा।

आवश्यकता:

पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का तीसरा स्तर है और भारतीय जनता की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए सरकार के साथ संपर्क का प्रथम स्तर है।
पंचायतें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में यथा विहित बुनियादी सेवाओं विशेषकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी हैं।
नागरिक घोषणा पत्र के बारे में:

नागरिक घोषणा पत्र (Citizens' Charters) पहल, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देने करने के दौरान, नागरिकों को दिन-ब-दिन होने वाली समस्याओं का हल खोजने का एक जबाव है।
नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा, सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास सुनिश्चित करती है।
इस अवधारणा को पहली बार 1991 में यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तुत और कार्यान्वित किया गया था।
मूल रूप से तैयार किए गए 'सिटीजन चार्टर' आंदोलन में छह सिद्धांत शामिल किए गए थे:

गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
विकल्प: जहाँ भी संभव हो।
मानक: निर्दिष्ट करें कि क्या अपेक्षा की जाए और मानकों को पूरा न करने पर क्या प्रतिक्रिया की जाए।
मूल्य: करदाताओं के पैसों का मूल्य समझा जाए।
जवाबदेही: व्यक्ति और संगठन।
पारदर्शिता।
भारत में सिटीजन चार्टर की अवधारणा:

सिटीजन चार्टर की अवधारणा को पहली बार, मई 1997 में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 'विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन' में अपनाया गया था।

आसियान (ASEAN) क्या है?

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) अर्थात एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उत्तर-औपनिवेशिक देशों के मध्य बढ़ते हुए तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।

आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" (One Vision, One Identity, One Community) है।

आसियान का सचिवालय -जकार्ता, इंडोनेशिया में है।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-2

उत्पत्ति (Genesis):

आसियान का गठन वर्ष 1967 में इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ था।

आसियान के संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।

आसियान के दस सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

भारत के लिए आसियान का महत्व:

लद्दाख गतिरोध सहित चीन के आक्रामक रवैए की पृष्ठभूमि में, भारत द्वारा 'आसियान' को 'भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (India's Act East policy) के केंद्र में रखा गया है। भारत का मानना है, कि इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास हेतु एक संसक्त और उत्तरदायी आसियान का होना आवश्यक है।
'क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास' (Security and Growth for All in the Region– SAGAR) अर्थात 'सागर' विजन की सफलता के लिए आसियान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
कोविड-19 महामारी का अंत होने के बाद, आर्थिक सुधार हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है।
आसियान, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तथा इसके साथ लगभग 86.9 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार होता है।

'बीड मॉडल ' क्या है?

समस्याएं:

बीड (Beed), महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक जिला है।
यह जिला, किसी भी बीमा कंपनी के लिए एक चुनौती है क्योंकि यहां के किसानों को बार-बार या तो सूखे या भारी बारिश के कारण फसलें गंवानी पड़ती हैं।
इस कारण, इस जिले के लिए उच्च भुगतान को देखते हुए, बीमा कंपनियों को लगातार घाटा होता है।
समाधान:

बीमा कंपनियों को आकर्षित करने हेतु राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) दिशानिर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया है।

नए दिशानिर्देशों के तहत, कुछ चेतावनियों सहित बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम राशि के 110% की सुरक्षा प्रदान करेगी।
यदि मुआवजा की राशि, बीमा कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा से अधिक हो जाती है, तो इस अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
यदि मुआवजा के रूप में दी गई राशि, एकत्रित प्रीमियम से कम रहती है, तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रख लेगी और शेष राशि को राज्य सरकार के लिए वापस कर देगी।
राज्य सरकार पर प्रभाव:

सामान्य मौसम के दौरान, जब किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम होता है, तब राज्य सरकार को प्रीमियम की शेष राशि वापस मिलने की अपेक्षा होती है, जिसे आगामी वर्ष के लिए योजना का वित्त-पोषण करने हेतु एक कोष में जमा किया जा सकता है।
हालांकि, चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान संबंधी मामलों में राज्य सरकार को वित्तीय दायित्व वहन करना होगा।
महाराष्ट्र सरकार, इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने जोर क्यों दे रही है?

धन का एक अन्य स्रोत: बीड मॉडल में, बीमा कंपनी का लाभ कम होने की उम्मीद होती है, इसके अलावा राज्य सरकार के लिए धन के एक अन्य स्रोत तक पहुँच मिलती है।

राज्य पर कम बोझ: राज्य सरकार को वापस मिली राशि को अगले वर्ष किए जाने वाले व्यय में जोड़ा जा सकेगा या इससे, फसल-नुकसान होने वाले किसी वर्ष में अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने में मदद मिल सकती है।

PMFBY के बारे में:

जनवरी 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा

CAREER PLUS

सुरक्षा प्रदान करती है।

इस योजना के तहत, किसानों को प्रीमियम का 1.5-2% भुगतान करना होता हैं, और शेष राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
यह एक केंद्रीय योजना है तथा राज्य के कृषि विभागों द्वारा, केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।
PMFBY से PMFBY 2.0:

पूर्णतया स्वैच्छिक: वर्ष 2020 के खरीफ सीजन से सभी किसानों के लिए नामांकन को शत प्रतिशत स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है।

सीमित केंद्रीय सब्सिडी: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिये व्यापक छूट प्रदान की गयी है और साथ ही उन्हें बुवाई, स्थानिक आपदा, फसल के दौरान मौसम प्रतिकूलता, और फसल के बाद के नुकसान आदि किसी भी अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया गया है।

निर्णय में देरी होने पर दंड: संशोधित PMFBY में, एक प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें राज्यों द्वारा खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले और रबी सीजन के लिए 30 सितंबर से पहले अपना हिस्सा जारी नहीं करने पर, उन्हें बाद के फसल सीजनों में योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों में निवेश: अब इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किये गए कुल प्रीमियम का 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है।

पक्के टाइगर रिजर्व

पक्के टाइगर रिजर्व को 'पाखुई टाइगर रिजर्व' (Pakhui Tiger Reserve) के नाम से भी जाना जाता है।
इस टाइगर रिजर्व के लिए अपने 'हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम' (Hornbill Nest Adoption Programme) के लिए 'संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया था।
पक्के टाइगर रिजर्व के पश्चिम और उत्तर में, भरेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी बहती है।
निकटवर्ती अभ्यारण्य: अरुणाचल प्रदेश में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, असम का नामेरी नेशनल पार्क, डोइमारा रिजर्व फॉरेस्ट और ईगलनेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी।
इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख बारहमासी नदियाँ नामेरी, खारी और ऊपरी डिकोराई हैं। कामेंग नदी के पश्चिम में सेसा आर्किड अभयारण्य स्थित है।
पक्के टाइगर रिजर्व, पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से भुगतान रसीदों या खरीद बिल पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है।

FSSAI के बारे में:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है।
किसी भी खाद्य संबंधित व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय-स्वामी के लिए FSSAI की अनुमति से एक प्रमाण पत्र और लाइसेंस हासिल करना आवश्यक होता है।

तुलु भाषा

तुलु (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है, जिसे मुख्यतः कर्नाटक के दो तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ तथा उडुपी, और केरल

CAREER PLUS

के कासरगोड जिले में बोला जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तुलु भाषी लोगों की संख्या 18,46,427 है।
'रॉबर्ट काल्डवेल' (1814-1891) ने अपनी पुस्तक 'ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविड़ियन या साउथ-इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज' में तुलु भाषा को "द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक" बताया है।
तुलु भाषा में एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा पाई जाती है, जिसमे पद्दाना (Paddana) जैसे लोक-गीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूप शामिल हैं।
संविधान की आठवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) में संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 351: इसके तहत, हिंदी भाषा के विकास हेतु इसका प्रसार करने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं, जिससे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, कुल 22 भाषाएँ शामिल है।

UNCLOS (समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय)

(THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA)

यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो समस्त विश्व के महासागरों पर किसी भी देश के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के नियम निर्धारित करता है और इन महासागरों के संसाधनों के प्रयोग के लिए नियम बनाता है इस पर 1994 में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके इसको प्रभावी बनाया गया जबकि इस कानून का समझौता 1982 में ही तैयार हो गया था। इस समझौते पर अब तक 161 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं जबकि 60 वा हस्ताक्षर करने वाला देश गुयाना था।
इसको अब समुद्री कानून (Law of Seas) के रूप में भी जाना जाता है यह समझौता आज के समय में एकमात्र ऐसा समझौता है जो देशों के समुद्री अधिकार निर्धारित करता है। यह महासागर को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है -

1. **आंतरिक जल**
2. **प्रादेशिक जल**
3. **निकटवर्ती क्षेत्र**
4. **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र**
5. **बाह्य समुद्र या खुला समुद्र**

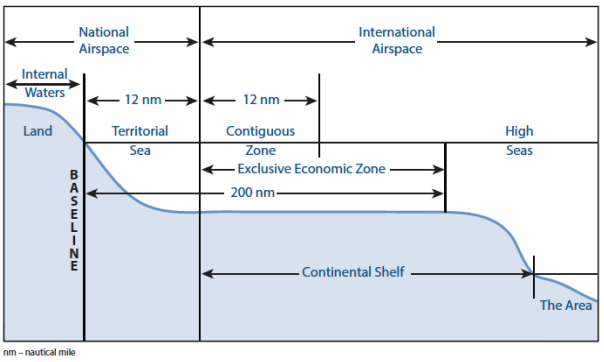

आंतरिक जल - इसमें किसी भी देश के अंदर के सारी नदियों एवं जलाशयों होते हैं इसमें कोई भी देश अपने तरीके से नियम बना सकता है।

प्रादेशिक जल = इसमें किसी देश के तट से 12 समुद्री मील के भीतर का क्षेत्र उस देश का क्षेत्र क्षेत्र माना जाता है और वह देश इस पर कोई भी कानून बना सकता है और सारे संसाधन का प्रयोग कर सकता है आपातकालीन स्थिति में वह देश इस क्षेत्र में आने-जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है।

निकटवर्ती क्षेत्र - इस क्षेत्र में 12 समुद्री मील से आगे 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में विशेष अधिकारों का जैसे यातायात प्रतिबन्ध और तटकर आदि लगा सकता है।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र- देश के तट से 200 समुद्री मील तक किसी भी राष्ट्र का उस सागर के संसाधनों पर

CAREER PLUS

आर्थिक अधिकार है, चाहे वह समुद्र तल पर हो या फिर नीचे तेल हो, इस क्षेत्र में विदेशी विमानों और नौकाओं को आने-जाने की इजाजत है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन

संदर्भ:

जून 2021 में , 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया था।

यह पहली बार था, जब FAO सम्मलेन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया ।

सम्मेलन के बारे में:

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन प्रति दो वर्ष में आयोजित होता है और यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय (Governing Body) है।

सम्मलेन में, संगठन की नीतियों का निर्धारण, बजट के लिए मंजूरी और खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर सदस्य देशों के लिए सिफारिशें देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।

FAO की रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031:

इस वर्ष के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा 'रणनीतिक रूपरेखा' (Strategic Framework) 2022-2031 अपनाई जाएगी।

इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए, कृषि-खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला, और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से सतत विकास एजेंडा 2030 में सहयोग करना है।

ये चार बेहतर (Four Betters) उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेषकर SDG 1 (निर्धनता-उन्मूलन), SDG 2 (भुखमरी-उन्मूलन), और SDG 10 (असमानता में कमी) को हासिल करने में सहयोग करने हेतु, FAO द्वारा लागू किये जाने वाले कार्य संयोजन-सिद्धांतो को अभिवयक्त करते हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO):

(Food and Agriculture Organization)

यह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी-उन्मूलन हेतु किये जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

मुख्यालय: रोम, इटली

स्थापना: 16 अक्टूबर 1945

FAO का लक्ष्य: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, तथा लोगों तक सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट और कार्यक्रम (संक्षिप्त विवरण):

1) खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट
2) प्रति दो वर्ष में, **वैश्विक वन-स्थिति का प्रकाशन**
3) वर्ष 1961 में FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य मानकों तथा दिशानिर्देशों को विकसित करने हेतु कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (Codex Alimentarius Commission) का गठन
4) वर्ष 1996 में, FAO ने विश्व खाद्य सम्मलेन (World Food Summit) का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन रोम घोषणा (Rome Declaration) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
5) वर्ष 1997 में, FAO ने भूख से लड़ने में सहायता प्राप्त करने हेतु टेलीफूड, संगीत, खेल कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का एक अभियान शुरू किया।
6) वर्ष 1999 में FAO सद्भावना राजदूत कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लगभग 1 अरब लोग भरपूर खाद्य सामग्री होने के दौरान भी भूख और कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों की ओर जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है।
7) वर्ष 2004 में भोजन के अधिकार संबंधी दिशा-निर्देशों को अपनाया गया, जिसके तहत राष्ट्रों के लिए 'भोजन के अधिकार' संबंधी उनके दायित्वों को पूरा करने हेतु मार्गदर्शन दिए गया।

CAREER PLUS

8) FAO ने 1952 में 'इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन' (International Plant Protection Convention – IPPC) गठित किया।
9) 29 जून 2004 को 'खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसधानों पर अन्तराष्ट्रीय संधि' (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, also called Plant Treaty– ITPGRFA), जिसे 'सीड ट्रीटी' (Seed Treaty) भी कहा जाता है, लागू की गयी।
10) दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान 2002 में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems– GIAHS) भागीदारी पहल की अवधारणा तैयार की गई थी।

गोल्ड हॉलमार्किंग और इसकी अनिवार्यता

भारत सरकार ने जून 2021 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दी है। इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

पहले चरण में केवल 256 जिलों में ही 'गोल्ड हॉलमार्किंग' (Gold Hallmarking) उपलब्ध होगी और 40 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार वाले जौहरी इस प्रावधान के दायरे में आएंगे।

'गोल्ड हॉलमार्किंग' क्या होती है?

हॉलमार्किंग, बहुमूल्य धातु की वस्तु में उस कीमती धातु के आनुपातिक अंश का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग होती है।

इस प्रकार, हॉलमार्क, बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की उत्कृष्टता या शुद्धता की गारंटी की तरह होता है और कई देशों में आधिकारिक चिह्न के रूप में प्रयोग किया जाता है।

भारत में, सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना का कार्यान्वयन 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of Indian Standard- BIS) द्वारा किया जाता है।

हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाली धातुएं:

स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण निर्मित की कलाकृतियां।
चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां।

अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट:

भारत सरकार की व्यापार नीति के तहत आभूषणों का निर्यात और पुन:आयात करने वाली इकाइयों को इस व्यवस्था से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुमोदित बी2बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनियों के लिये भी इससे छूट होगी।

सोने की घड़ियों, फाउंटेन पेन्स और कुंदन, पोल्की व जड़ाऊ जैसे गोल्ड आइटम्स के लिए हॉलमार्किंग का प्रावधान नहीं लागू होगा।

हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की आवश्यकता:

भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि, देश में हॉलमार्क वाले गहनों का स्तर बहुत कम है- भारतीय सोने के आभूषणों में से केवल 30% पर ही हॉलमार्क होता है। इसके पीछे मुख्य कारण पर्याप्त 'परख और हॉलमार्किंग केंद्रों' (Assaying and Hallmarking Centres– A&HC) की अनुपलब्धता है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग योजना का मुख्य उद्देश्य मिलावटी सोने से जनता की रक्षा करना और उत्कृष्टता के वैध मानकों को बनाए रखने के लिए निर्माताओं को बाध्य करना है।

यह उपभोक्ताओं के लिए आभूषणों पर अंकित शुद्धता

CAREER PLUS

को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करेगी।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्थानांतरण

(SHIFTING OF JURISDICTION OF A HIGH COURT)

लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अपने 'कानूनी क्षेत्राधिकार' (legal jurisdiction) को केरल उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

लक्षद्वीप के नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कई मुकदमे दायर किए जाने के बाद, प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव का सूत्रपात किया गया था।
लक्षद्वीप प्रशासक के इन निर्णयों में, कोविड-उपयुक्त व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना, "गुंडा अधिनियम" की शुरूआत और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को ध्वस्त करना आदि शामिल थे।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्थानांतरित करने संबंधी प्रक्रिया:

किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से ही स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि 'संसद विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय को, इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है।'
इसी अनुच्छेद के उपबंध 4 में उल्लेख है कि, 'इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

आगे की चुनौतियां:

वर्तमान में, लक्षद्वीप, केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, मलयालम, केरल और लक्षद्वीप, दोनों में बोली और लिखी जाने वाली भाषा है।

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करने से लक्षद्वीप की पूरी न्यायिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी।
इससे भाषा के संबंध टूटेगा।
साथ ही, केरल उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय की दूरी 1,000 किलोमीटर से अधिक है और कोई सीधा संपर्क मार्ग भी नहीं है।
इससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में विचाराधीन सभी मामलों की फिर से सुनवाई करनी होगी।

प्रवर्तन निदेशालय

इस निदेशालय की उत्पत्ति, 1 मई, 1956 को, 'विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम' , 1947 (FERA '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किए जाने के साथ हुई थी।

वर्ष 1957 में, इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate) कर दिया गया।
'प्रवर्तन निदेशालय' , वर्तमान में, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है।
इस संगठन का कार्य, दो विशेष राजकोषीय विधियों- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को प्रवर्तित करना है।
संरचना:

यह निदेशालय कार्मिकों की सीधी भर्ती के अलावा, विभिन्न जाँच अभिकरणों अर्थात् सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय-कर, पुलिस आदि से अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर रखता है।

अन्य कार्य:

CAREER PLUS

भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भारत से भगोड़े/भगोड़ों के मामलों पर कार्रवाई करना।
FEMA का उल्लंघन करने पर 'विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम' , 1974 (COFEPOSA) के मामलों को प्रत्यायोजित करना।
विशेष अदालतें:

PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए, केंद्र सरकार (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से), एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में गठित कर सकती है। इन अदालतों " PMLA कोर्ट" भी कहा जाता है।
PMLA अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे उस क्षेत्राधिकार के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र (GIMAC)

(GUJARAT INTERNATIONAL MARITIME ARBITRATION CENTRE)

संदर्भ:

'गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी' और 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण' (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) के मध्य, 'गिफ्ट सिटी' (GIFT City) में 'गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र' (GIMAC) की स्थापना करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

यह मध्यस्थता केंद्र, गांधीनगर स्थित 'गिफ्ट सिटी' में 'गुजरात मैरीटाइम बोर्ड' (GMB) द्वारा स्थापित किया कए जा रहे एक 'मैरीटाइम क्लस्टर' का एक भाग होगा।

GIMAC के कार्य:

'गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र' (GIMAC), समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता-कार्यवाही का प्रबंधन करने हेतु, देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।

GIMAC की स्थापना का कारण:

इसका उद्देश्य, भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय विवादों को हल करने में मदद करने हेतु, समुद्री और शिपिंग विवादों पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करना है।

वर्तमान में, भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन इसमें से कोई भी विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र के विवादों का निपटारा करने से संबंधित नहीं है।
अभी तक, भारतीय पक्षों से जुड़े मध्यस्थता मामलों की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है।
'गिफ्ट सिटी' क्या है?

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (Gujarat International Finance Tec-City: GIFT City), गुजरात में अहमदाबाद के समीप स्थित एक व्यापारिक जिला है।

यह भारत का पहला क्रियाशील 'ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी' , और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसके लिए गुजरात सरकार द्वारा 'ग्रीनफील्ड परियोजना' के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।
यह शहर, साबरमती नदी के तट पर स्थित है।
'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' (IFSC) क्या है?

(International Financial Services Centres)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
IFSC, सीमा-पारीय वित्त प्रवाह, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित होते हैं।
लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में गिना जा सकता है।
IFSC द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए फंड जुटाने हेतु सेवाएं।
पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन (Asset management) और ग्लोबल पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन (Global

CAREER PLUS

Portfolio Diversification)।
धन प्रबंधन (Wealth management)।
वैश्विक कर प्रबंधन और सीमा-पार कर देयता अनुकूलन (Cross-Border Tax Liability Optimization), जो वित्तीय बिचौलियों, लेखाकारों और कानूनी फर्मों के लिए एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करते है।
वैश्विक और क्षेत्रीय कॉरपोरेट ट्रेजरी प्रबंधन संचालन, जिसमें, फंड जुटाना, तरलता निवेश और प्रबंधन और परिसंपत्ति-देयता मिलान करना सम्मिलित होता है।
बीमा और पुनर्बीमा जैसे जोखिम प्रबंधन कार्य।
अंतर-राष्ट्रीय निगमों के मध्य विलय और अधिग्रहण संबंधी गतिविधियाँ।

बंगाल मॉनिटर

(BENGAL MONITOR)

बंगाल मॉनिटर या आम 'भारतीय मॉनिटर' (Varanus bengalensis) या 'गोह' एक बड़े आकार की छिपकली प्रजाति है जो मुख्यतः भूमि पर निवास करती है।
मॉनिटर छिपकली / 'गोह' , प्रायः मांसाहारी और गैर-विषैले होते हैं।
इसके लिए 'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम' की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है, किंतु इसके मांस, रक्त और तेल के लिए लगातार इसका शिकार किया जा रहा है।
इस प्रजाति को 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (IUCN) की रेड लिस्ट में 'संकटमुक्त' (Least Concern) श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

संघ बनाम केंद्र: द्रमुक पार्टी द्वारा भारत सरकार के लिए 'सही' शब्द का उपयोग करने पर जोर

संदर्भ:
नई दिल्ली से कार्य करने वाली तथा राज्यों और स्थानीय निकायों सहित 'भारतीय राज्य' (Indian state) का निर्माण करने वाली 'भारत सरकार' को संदर्भित करने के लिए सही शब्द क्या है?
प्रचलित रूप से - और बहुधा आधिकारिक पत्रव्यवहार में भी - इस संस्था को "केंद्र सरकार" (Central government) या संक्षेप में "केंद्र" (Centre) कहा जाता है।
हालांकि, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी का जोर देकर कहना है, कि इसके लिए सही शब्द वास्तव में "संघ सरकार" (Union government) है।
इस विवाद का आरंभ:
तमिलनाडु में पिछले साल नई द्रमुक (DMK) सरकार द्वारा पदभार सँभालने के बाद से, इसके द्वारा अपने आधिकारिक बयानों और प्रेस विज्ञप्तियों में संघीय सरकार को संदर्भित करने के लिए तमिल शब्द "ओंड्रिया अरासु" (Ondriya Aras) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इससे पहले, राज्य सरकार के पत्रव्यवहार में "मथ्थिया अरासु" (Maththiya Arasu) अर्थात 'केंद्र सरकार' शब्दावली का प्रयोग किया जाता था।
डीएमके नेताओं के अनुसार, संविधान में भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में वर्णित किया गया है और इसलिए केंद्र को संदर्भित करने हेतु आदर्श शब्द "संघ सरकार" होगा।
इस संबंध में भारत का संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान में संपूर्ण देश और इसे संचालित करने वाली सरकार का वर्णन करने हेतु निरंतर "संघ" (Union) शब्द का प्रयोग किया गया है।
उदाहरण के लिए:
अनुच्छेद 53 में कहा गया है, कि "संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी" ।
अनुच्छेद 1 में कहा गया है: "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा" ।
ध्यान देने वाली बात है कि संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में 'केंद्र सरकार' (Central government) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
संविधान सभा का अभिप्राय:
संविधान सभा द्वारा, एक सशक्त संयुक्त देश का निर्माण करने हेतु विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और मेल पर जोर दिया गया था:
इसी कारणवश 13 दिसंबर,1946 को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इस संकल्प के साथ कि "भारत 'स्वतंत्र

CAREER PLUS

संप्रभु गणराज्य' (Independent Sovereign Republic) में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक राज्य-क्षेत्रों का एक संघ होगा" , संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया था।

बीआर अम्बेडकर ने 'राज्यों के संघ' के उपयोग को उचित ठहराते हुए कहा कि, मसौदा समिति (Drafting Committee) यह स्पष्ट करना चाहती है, कि भारतीय संघ, राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता।

संघ बनाम केंद्र- कौन सा शब्द बेहतर है?

'केंद्र' (Centre) या 'केंद्र सरकार' (Central government) में, शक्तियों को एक इकाई में केंद्रीकृत करने की प्रवृत्ति होती है।

'संघ सरकार' (Union government) या 'भारत सरकार' में एक एकीकृत प्रभाव प्रदर्शित होता है; क्योंकि, इसके माध्यम यह संदेश जाता है कि 'सभी की सरकार' (government is of all) है।

सुभाष कश्यप के अनुसार, 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग करने का तात्पर्य यह होगा कि राज्य सरकारें इसके अधीन हैं।

दो शब्दों की मौजूदगी का कारण:

यह शब्द 'औपनिवेशिक काल' से उपयोग में चले आ रहे हैं।

इन शब्दों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 और 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' , 1919 में प्रयोग किया गया था।

वर्ष 1935 में लागू किए गए 'भारत सरकार अधिनियम' में पहली बार "फेडरेशन ऑफ इंडिया" शब्द का प्रयोग किया गया था।

इसके लिए आधुनिक शब्द "संघ" का पहली बार आधिकारिक तौर पर वर्ष 1946 में 'कैबिनेट मिशन योजना' में प्रयोग किया गया था। यह सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारत को एकजुट रखने हेतु एक ब्रिटिश योजना थी।

तमिलनाडु सरकार के फैसले का महत्व:

तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने आधिकारिक पत्रव्यवहार में 'केंद्र सरकार' शब्द के उपयोग को बंद करने और इसके स्थान पर "संघ सरकार' का प्रयोग करने का निर्णय, हमारे संविधान की चेतना को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हीट डोम' क्या है?

वायुमंडल द्वारा गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरह कैद कर लेने पर 'हीट डोम' की घटना घटित होती है।

इस 'ऊष्मीय गुंबद' / 'हीट डोम' में चिलचिलाती गर्मी पाई जाती है

वातावरण में उच्च दाब परिसंचरण, सतह पर उष्मा को कैद करके 'गर्म-लहरों / 'हीट वेव्स' के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थितियां बनाता है और किसी गुंबद या ढक्कन की भांति कार्य करता है।

कारण:

हीट डोम की स्थिति, सशक्त व उच्च दाब युक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों के 'ला नीना' (La Niña) के प्रभाव में आने पर निर्मित होती है।

इसकी वजह से विस्तृत क्षेत्र प्रचंड गर्मी उत्पन्न होती है, जो उच्च दाब वाले "गुंबद" के नीचे कैद होकर रह जाती है।

इसका एक मुख्य कारण, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के तापमान में तीव्र परिवर्तन (प्रवणता) भी होती है।

यह किस प्रकार निर्मित होता है?

संवहन प्रक्रिया में तापमान प्रवणता की वजह से, समुद्र की सतह से अधिक वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है।

यह गर्म हवाएं, पश्चिमी प्रशांत महासागर से ऊपर उठती है और पूर्व की ओर गति करती हुई 'मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र' में नीचे उतरती हैं।

जैसे ही प्रचलित हवाएँ, गर्म हवाओं को पूर्व की ओर ले जाती हैं, जेट स्ट्रीम का उत्तरी भाग इन हवाओं को अपने साथ मिला लेता है।

जेट स्ट्रीम के साथ बहती हुई यह गर्म हवाएं स्थल की ओर बढ़ती हैं और वहां नीचे उतरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गर्म लहरों का जन्म होता है।

उष्मा गुंबद का प्रभाव:

अत्यधिक गर्मी जनित स्थितियों के कारण होने वाली मौतों में अचानक वृद्धि।

गर्मी के फंसने से फसलों को भी नुकसान हो सकता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा

CAREER PLUS

पड़ सकता है।
गर्मी की चपेट में आने से, फसलों को भी नुकसान हो सकता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा पड़ सकता है।
गर्म लहरों की वजह से ऊर्जा-मांग, विशेष रूप से बिजली की मांग में वृद्धि होगी, जिस कारण इसकी दरों में इजाफा होगा।
'हीट डोम' वनाग्नि के लिये ईंधन के रूप में भी काम कर सकते हैं। 'वनाग्नि' के कारण हर साल अमेरिका में बहुत सारा स्थलीय क्षेत्र बर्बाद हो जाता है।
'हीट डोम' के कारण बादलों को निर्माण भी बाधित होता है, जिससे सूर्य-विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है।

इस्तांबुल अभिसमय' क्या है?

इसे, 'महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद' (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) भी कहा जाता है।

यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है।
इस व्यापक वैधानिक ढाँचे में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग (female genital mutilation-FGM), तथा सम्मान-आधारित हिंसा (honour-based violence) और बलपूर्वक विवाह को रोकने के लिए प्रावधान किये गए है।
किसी देश की सरकार के द्वारा अभिसमय के पुष्टि किये जाने के पश्चात वह इस संधि का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
मार्च 2019 तक, इस संधि पर 45 देशों तथा यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षर किये गए है।
इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की 'कमेटी ऑफ़ मिनिस्टर्स' द्वारा अपनाया गया था।
इस अभिसमय में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने हेतु सरकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किये गए है।

CAREER PLUS